न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र सिह पुरोहित आर.ए.एस
अपील संख्या 172/2017 एल आर एक्ट
अनवान महेन्द्र कुमार बनाम श्योवन्ती वगैरह

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
07–06–2018 अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर	पत्रावली राजीनामा के प्रार्थना पत्र आदेश बाबत पेश हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने राजीनामा के प्रार्थना पत्र पर अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए बहस के दौरान कहा कि पक्षकारान मे लोक अदालत की प्रेरणा से राजीनामा हो गया है। मुताबिक राजीनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3,4,5,6 वादग्रस्त जमीन मे कोई हिस्सा लेना नही चाहती है। इसलिए इंतकाल संख्या 27/17 दिनांक 15.11.1978 पूर्ववत बहाल हो जावे अर्थात वादग्रस्त जमीन का इंतकाल 27/17 महेन्द्र व राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री जोतराम जाति जाट के नाम से करने पर सभी पक्षकारान की सहमति बताई तथा सभी पक्षकारो की उपस्थिति में राजीनामा का प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 के विद्वान अभिभाषक ने अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का समर्थन करते हुए कहा कि सभी पक्षकारान का आपसी राजीनामा हो गया है, अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त कर तहसीलदार संगरिया का पूर्ववत इंतकाल संख्या 27/17 दिनांक 15.11.1978 यथावत रखा जाता है तो उन्हे कोई एतराज नही है। राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा पेश राजीनामा प्रार्थना पत्र एव पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। इस न्यायालय में यह अपील जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 22.7.2013 के विरूद्व पेश हुई है, जिसके द्वारा तहसील सगरिया के चक 2 एम जे डी के इन्तकाल संख्या 27/17 दिनांक 15.11.1978 को निरस्त कर प्रकरण न्यायालय तहसीलदार संगरिया को रिमाण्ड कर पक्षकारो को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु दिये। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ में श्योकोरी पत्नी स्व. जोतराम, श्योवन्ती पुत्री स्व. जोतराम, सन्तोष देवी पुत्री स्व. जोतराम, सुमित्रा पुत्री ....लगातार.................	

स्व. जोतराम ने अपील पेश की थी, श्योकोरी पत्नी स्व. जोतराम मुख्य पार्टी थी। श्योकोरी पत्नी स्व. जोतराम का देहान्त दिनांक 27.10.2013 को हो चुका है तथा उनका नाम इस अपील से आदेश दिनांक 16.12.14 द्वारा हटाया जा चुका है।

चुँकि पक्षकारो की माता श्योकोरी का देहान्त अपील के विचाराधीन रहते हुआ है, अब उभय पक्ष द्वारा आपसी राजीनामा कर लिया है, अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा प्रकरण तहसीलदार संगरिया को रिमाण्ड किया कि वे पक्षकारो को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करे जिसको हम उचित मानते है।

अतः प्रकरण तहसीलदार संगरिया को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि सभी पक्षकारो को सुनकर राजीनामें के मुताबिक पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर